

भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

फा सं 3/42/2011-एसी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाए विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2013

09 वैशाख 1935 (शक)

### अधिसूचना

का.आ.सं. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1034 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के उप-खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 30 अक्टूबर, 2003 की पूर्व अधिसूचना सं 14-13/2003-एसी (सा.का.सं. 3163, 2 नवम्बर - 8 नवम्बर, 2003) का अधिक्रमण करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि अब से केवल ऐसे प्राथमिक सहकारी बैंक जिन्हें लाइसेंस प्राप्त हो और जिनकी मांग और आवधिक देयताएं 750 करोड़ से कम न हो, को 01 अप्रैल, 2013 से उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ वित्तीय संस्थाओं के रूप में माना जाएगा ।

(जितेन्द्र कुमार मैहन)

अवर सचिव, भारत सरकार

सहायक प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र

रिंग रोड, नई दिल्ली 110065